

भारत सरकार  
कार्यालय आयकर आयुक्त  
आयकर भवन मकदूल आलम रोड, वाराणसी  
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12AA(1)(b)(i) के अधीन आवेश

दिनांक 05.03.2013

संस्था/व्यक्ति Nihilleshwar Navjeevan Foundation, Neta Nagar, Suriyawan, S.R.N. Bhadohi

पैन नं०-AABTN6754D

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12AA(1) की उपधारा (b) में निहित शक्तियों के तहत संस्था/व्यक्ति Nihilleshwar Navjeevan Foundation, Neta Nagar, Suriyawan, S.R.N. Bhadohi को आयकर अधिनियम की धारा 12ए के उद्देश्यों के लिए दिनांक 01.04.2012 से पंजीकृत किया जाता है। पंजीकरण निम्न शर्तों के तहत न्यायसंगत होगा।

- (1) संस्था/व्यक्ति अपनी आय को पूर्ण या आंशिक प्रयोजनों के लिए भारत में प्रयोग करेगी जहां ऐसी आय भारत में एक प्रयोजन के प्रयोग के लिए जान हेतु संचित की जाती है, बल्कि उसे परिष्कार तक जिस तक इस प्रकार संचित की गई या अलग रखी गयी आय कुल आय का 15 प्रतिशत या अन्य कोई परिचित जो समय-समय पर आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाएगा, से अधिक नहीं होगा तथा यह आयकर अधिनियम की धारा 11(2) की शर्तों का पालन करेगी।
- (2) संस्था/व्यक्ति अपनी निवेश का आयकर अधिनियम की धारा 11(5) में निर्दिष्ट स्वरूप और मात्रा में अनुसूचित रखेगी।
- (3) यह आवेश व्यापार से सम्बंधित किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। यह सिवाय उन परिस्थितियों का होना कि व्यापार संस्था के तत्त्वों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाए एवं इस व्यापार की लेखा बहिया अलग से रखी जाए।
- (4) संस्था/व्यक्ति आयकर अधिनियम 1961 के प्राधान्य के अनुसार विधिवत अपनी आयकर विवरणी दाखिल करेगी।
- (5) संस्था/व्यक्ति अपने आय का सही और सत्य विवरण निर्दिष्ट धर्म सम्प्रदाय या धर्म के लाभ हेतु प्रयोग नहीं करेगी।
- (6) संस्था/व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 12ए के निर्दिष्ट व्यक्तियों के लाभ हेतु अपनी किसी आय या सम्पत्ति के प्रत्येक या बहुसंख्यक भाग में प्रयोग नहीं करेगी।
- (7) प्राप्त आय में यह धारा 12ए के तहत संस्था/व्यक्ति को किया क्लेम उल्लेख उद्योगों से किए जायत, इसमें तत्काल संस्था/व्यक्ति को किया क्लेम प्रमाणित (Genuine) नहीं रह ता आयकर अधिनियम की धारा 12AA(3) के अन्तर्गत इस पंजीकरण का रद्द किया जा सकता है।
- (8) धारा 12ए के अन्तर्गत की पंजीकरण को जबतक संस्था/व्यक्ति का संविदाएं ऑफ सासाइटो के सही पंजीकरण आ जाता है तब तक ही मान्य होगा।

sd/-

(दीर्घनामिका)  
आयकर आयुक्त वाराणसी

दिनांक 05.03.2013

फाइल नं० आ.आ.आ. 62/12ए/वाराणसी/88/2012-13

1236

प्रतिलिपि सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित -

1. संस्था/व्यक्ति को संस्था/व्यक्ति Nihilleshwar Navjeevan Foundation, Neta Nagar, Suriyawan, S.R.N. Bhadohi

2. अपर, समुक्त आयकर आयुक्त पंजीकृत [11/III] वाराणसी।

3. संस्था/व्यक्ति आयकर अधिनियम [11/III] वाराणसी की इस आदेश के तहत संस्था/व्यक्ति को प्राप्त आय को अनुसूचित पंजीकरण की धारा 12ए के तहत भारत में 11 से 13 तक कर मुक्ति के लिए प्रयोजन भरी है। संस्था/व्यक्ति द्वारा उल्लेखित प्रयोजनों के लिए आय को अपने आयकर पर ही निर्वाह अधिकारी को इस परिणाम पर पहुंचना है कि संस्था/व्यक्ति कर मुक्ति के लिए वांछित नहीं करते हैं। पुराने करों से अर्थका को। उक्त पंजीकरण मानवगत अधिनियम पर प्रस्ताव द्वारा भी यह ज्ञाते कि सासाइटो (ITA 2765 DEL. 02) तथा योजना मार्गदर्शन समितियों के बाद में परिणत आदेश में प्रस्ताव पर ही संस्था/व्यक्ति उद्देश्य में धारा 12ए के अधिनियम 1961 की धारा 11 से 13 तक निहित सभी वांछित लाभों का भुगतान नहीं करते हैं या कर मुक्ति का नहीं होगा। आय 12ए (3) के अन्तर्गत उल्लेखित पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जाएगी।

*(Handwritten Signature)*

(सिद्धांतिक)

आयकर अधिनियम 1961  
आयकर आयुक्त  
वाराणसी

